(c) Following measures have been taken by the Government to stimulate demand for medium and heavy commercial vehicles-

(i) Availability of credit to State and Municipal Transport Undertakings under IDBIs bill discounting system has been enhanced.

(ii) The condition of 10 per cent margin money for State and Municipal Transport Undertakings has been waived till 31.3.1986.

(iii) Period of loan repayment m case of small operators enhanced from 4 to 5 years till 30.6.1986.

(iv) Ceiling on number of national permits for freight carriers has been lifted.

हरिजन आश्रम, इलाहाबाद में डाकघर का बन्द किया जाना

2001 श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद शहर में हरिजन आश्रम में कार्य कर रहे डाकघर को बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय विधायकों ने 22 जनवरी, 1986 को इस डाकघर के बन्द किये जाने के विरोध में पोस्टल सर्विस के निदेशक को विरोधपत्र भेजा था और इसके फिर से खोले जाने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, और उक्त डाकघर को अब तक पुनः न खोलने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । ऐसा बतलाया गया है कि राज्य विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री गोपाल दास यादव ने जनवरी। फरवरी, 1986 में निदेशक, डाक सेवा से डाकघर बंद करने के खिलाफ विरोध प्रकट किया था ।

(ग) शहरी क्षेत्रों में डाकघर, चाहे वह विभागीय हो या अतिरिक्त विभागीय, निम्नलिखित शर्तों पर खोले जाते हैं :—

(1) डाकघर को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए ।

(2) शहरों में 20 लाख तथा अधिक की जनसंख्या के साथ दो डाकघरों के बीच की दूरी 1 कि० मी० तथा अन्य शहरों।नगरों में 1.5 कि० मी० की दूरी होनी चाहिए ।

उपर्युक्त शर्तों के अलावा, शहरी क्षेत्रों में विभागीय उप डाकघर के लिए प्रतिदिन 5 घंटे का तथा अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे का कार्यभार निर्धारित किया गया है ।

हरिजन आश्रम अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर की समीक्षा करने पर पता चला है कि यह डाकघर रानीपुर (इलाहाबाद) डाकघर से 1 कि०मी० की दूरी पर स्थित है तथा इसमें प्रतिदिन लगभग 2 घंटे का कार्यभार था । इसके अलावा, यह डाकघर प्रतिवर्ष 3500 रु० के घाटे पर चल रहा था । चूंकि इसमें निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती थीं, अतः इस डाकघर को बनाए रखना संभव नहीं था ।

चूंकि उक्त डाकघर को विभागीय मानदण्डों के आधार पर बंद किया गया है, अतः इसे पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । राज्य विधान सभा के माननीय सदस्य निदेशक, डाक सेवा से मिले थे और उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। दक्षिण-पूर्व कोयला बेल्ट के लिए निदेशक